

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/3220

दिनांक :-30/4/24

कार्यालय आदेश

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, अलवर के आदेश क्रमांक मनरेगा/संस्था/कार्यवाही/3014-3021 दिनांक 29.02.2024 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के अन्तर्गत श्री योगेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 8881), पंचायत समिति, रेणी (अलवर) के निलम्बन आदेश की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

निलम्बन काल में श्री योगेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II का मुख्यालय कोषालय, दौसा रहेगा।

श्री योगेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के तहत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/3220

दिनांक :-30/4/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, अलवर।
- 3 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
- 4 कोषाधिकारी, अलवर।
- 5 कोषाधिकारी, दौसा।
- 6 श्री योगेश कुमार शर्मा (निलम्बित), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 8881) मुख्यालय कोषालय, अलवर।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
- 9 रक्षित/निजी पत्रावली।


(कै.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)